राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 7/2021

दायर दिनांकः– 01.03.2021

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. नेमीचन्द पुत्र भंवरलाल, जाति रेगर, निवासी ग्राम रुपनगढ, तह. रूपनगढ, जिला अजमेर।
2. प्रेमचन्द पुत्र भंवरलाल, जाति रेगर, निवासी ग्राम रुपनगढ, तह. रूपनगढ, जिला अजमेर।
3. रामकरण पुत्र भंवरलाल, जाति रेगर, निवासी ग्राम रुपनगढ, तह. रूपनगढ, जिला अजमेर।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ तहसील रूपनगढ जिला अजमेर।

–– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

दिनांकः–19.03.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी वाके गांव रुपनगढ, पटवार क्षेत्र रुपनगढ जिला अजमेर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1199 रकबा 3.5434 है0 में आवागमन करने व इस भूमि का उपयोग उपभोग करने एवं खातेदारी अधिकारों का उपयोग करने के लिये रास्ता के लिये प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (एक्ट नं. 3–1955) के अन्तर्गत रास्ता स्वीकृत करने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 1199 रकबा 3.5434 है0 भूमि में आने जाने के लिए कृषि भूमि उपयोग उपभोग एवं खातेदारी अधिकारों के उपयोग उपभोग करने हेतु खसरा नम्बर 4152/1197 रकबा 0.3237 है0 किस्म छापर (सरकारी भूमि) में से दक्षिण सींव सींव होते हुये खसरा नम्बर 1051 रकबा 0.8979 है0 गै0मु0 रास्ता तक 30 फुट चौड़ा रास्ता जो पूर्व से पश्चिम नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया हुआ है की उपरोक्त अधिनियम के तहत रास्ते की प्रार्थीगण मांग करते है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुआ। प्रकरण मे अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम रुपनगढ की जमाबंदी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 2493 में खसरा नम्बर 1465/1199 रकबा 1.5872 है0 नेमीचन्द पुत्र भंवरलाल (प्रार्थी संख्या 1) हि0 4255/15872 जाति रेगर सा0 देह खातेदार, प्रेमचन्द पुत्र भंवरलाल (प्रार्थी संख्या 2) हि0 4255/15872 जाति रेगर सा0 देह खातेदार, राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा रुपनगढ व रामकरण पुत्र भंवरलाल (प्रार्थी संख्या 3) हि0 3681/7936 जाति रेगर सा0 देह खातेदार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। पूर्व में मूल खसरा नम्बर 1199 रकबा 3.5434 है0 रिकॉर्ड में दर्ज था जिसका सहमति बंटवारा से जरिये नामान्तरण संख्या 6409 स्वकृत दिनांक–10.03.2021 से नवीन खसरा नम्बर 4165/1199, 4164/1199, 4163/1199 व 4162/1199 दर्ज हुए है जो प्रार्थीगण के नाम [illegible] 4164/[illegible] 1199 व 4162/1199 में खसरा नम्बर 1199 नवीन खसरा नम्बर 4165/1199, 4164/ [illegible] खातेदारी भूमि मूल खसरा नम्बर आवागमन हेतु रिकॉर्ड में रास्ता उपलब्ध नही है [illegible] 4163/1199 [illegible] 62/1199 में आवागमन हेतु 1199 नवीन खसरा नम्बर 4165/1199, 4164/1199, 4163/1199

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.03.25 16:15:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

ग्राम रुपनगढ के खसरा नम्बर 1051 किस्म गै0मु0 रास्ता से खसरा नम्बर 4152/1197 सिवायचक भूमि में से दक्षिण दिशा की तरफ रास्ता चाहा गया है जो पटवारी गिरदावर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में नजरी नक्शा में दर्शाया गया है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 4152/1197 सिवायचक भूमि के दक्षिण दिशा की तरफ से 30 फिट चौड़ा रास्ता चाहा गया है जिसकी रिकॉर्ड अनुसार लम्बाई 86 फिट होती है। इस प्रकार 86X30कुल 2580 वर्गफिट अर्थात् 240 वर्गमीटर भूमि रास्ते में प्रयुक्त होगी एवं प्रस्तावित भूमि की डी0एल0सी0 दर राशि रुपये 682150/– प्रतिबीघा की दर से रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि की कुल कीमत राशि रुपये 101185/– बनती है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मूल खसरा नम्बर 1199 में आने जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता रिकॉर्ड में उपलब्ध नही है एवं उक्त प्रस्तावित प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता सबसे कम दूरी का नजदीकी रास्ता होगा। भू–अभिलेख निरीक्षक रुपनगढ व पटवारी हल्का रुपनगढ की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नही होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थीगण को आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस सुनी गयी। चूंकि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मूल खसरा नम्बर 1199 नवीन खसरा नम्बर 4165/1199, 4164/1199, 4163/1199 व 4162/1199 तक पहुॅच हेतु रिकोर्डेड कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रुपनगढ के खसरा मूल खसरा नम्बर 1199 नवीन खसरा नम्बर 4165/1199, 4164/1199, 4163/1199 व 4162/1199 रकबा 3.5434 हैक्टेयर भूमि पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 4152/1197 की दक्षिणी दिशा में 30 फिट चौड़ा रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। उक्त रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की रिकॉर्ड अनुसार लम्बाई 86 फिट होती है। इस प्रकार 86X30 कुल 2580 वर्गफिट अर्थात् 240 वर्गमीटर होती है। प्रस्तावित भूमि की डी0एल0सी0 दर राशि रुपये 682150/– प्रतिबीघा की दर से रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि की कुल कीमत राशि रुपये 101185/– बनती है जिसकी दुगुनी कीमत राशि रुपये 202370/– (अक्षरे राशि रुपये दो लाख दो हजार तीन सो सत्तर मात्र) बनती है जिसका जरिये डिमांड ड्रॉफ्ट भुगतान करने के आदेश दिये जाते है। भुगतान की कार्यवाही पश्चात् रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रुपनगढ को लिखा जावे।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल मिसल किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रुपनगढ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.03.25 16:15:14 IST
Reason: SelfAttested